न्यायालय: अपर सेशन न्यायाधीश, दौसा , जिला दौसा (राज.)

पीठासीन न्यायाधीश :– **रविकान्त सोनी,** UID No.RJ00755

सेशन प्रकरण संख्या:– **सी.आई.एस. नम्बर 41/2020 (12/2022)**
CNR No. **RJDS010003682020**

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक।

बनाम

1. विकास पुत्र कैलाश चन्द मीणा, उम्र 25 वर्ष, निवासी सुरजपुरा, पुलिस थाना सदर दौसा, जिला दौसा (राज.) .... (निर्णय दिनांक 19.12.2025)

2. हेमन्त उर्फ ढानू पुत्र लक्ष्मीनारायण उर्फ सुश्याराम, उम्र 28 साल, निवासी गोयाबास, पुलिस थाना बालाहेड़ी, तहसील महवा, जिला दौसा (राज.)

   .... (निर्णय दिनांक 19.12.2025)

3. रामकिशोर उर्फ कालू उर्फ आर०के० पुत्र बिरदी चन्द, उम्र 42 साल, निवासी चैना का बास, पुलिस थाना सदर दौसा, जिला दौसा (राज.)

   .... (निर्णय दिनांक 19.12.2025)

4. गौतम पुत्र प्यारेलाल, उम्र 24 साल, निवासी सुरजपुरा, पुलिस थाना सदर दौसा, जिला दौसा (राज.) .... (निर्णय दिनांक 19.12.2025)

5. देवेन्द्र उर्फ लोढा पुत्र देवी सहाय, उम्र 28 साल, निवासी शेखावाला, पुलिस थाना सैथल, जिला दौसा (राज.) .... (निर्णय दिनांक 19.12.2025)

6. राजेन्द्र पुत्र रामवतार, उम्र 26 साल, निवासी बारवाल की ढाणी तन नांगल राजावतान, पुलिस थाना नांगल राजावतान, जिला दौसा (राज.)

   .... (निर्णय दिनांक 19.12.2025)

7. लेखराज पुत्र रणजीत, उम्र 24 साल, निवासी सुरी वाली ढाणी तन महेश्वरा, पुलिस थाना सदर दौसा, जिला दौसा (राज.)

   .... (निर्णय दिनांक 19.12.2025)

8. राहुल पुत्र बाबुलाल, उम्र 25 साल, निवासी बनेपुरा, पुलिस थाना मानुपर, जिला दौसा (राज.)

   .... (निर्णय दिनांक 19.12.2025)

9. सुरेन्द्र पुत्र किशनलाल, उम्र 25 साल, निवासी मीण्डावाली तन गण्डरावा, पुलिस थाना सिकन्दरा, जिला दौसा (राज.)

.... (निर्णय दिनांक 19.12.2025)

10. **महेन्द्र पुत्र पूरणमल, उम्र 28 साल, निवासी राम्यावाला, पुलिस थाना आँधी, जिला जयपुर ग्रामीण**

11. मुल्कराज पुत्र रामस्वरुप, उम्र 29 साल, निवासी ढाणी बदरख्या तन पापडदा, पुलिस थाना नांगल राजावतान, जिला दौसा

...(मफरूर दि0 10.12.2025)

12. बनवारी लाल उर्फ गांधी पुत्र रामदयाल, उम्र 35 साल, निवासी बबेली, पुलिस थाना राजगढ़, जिला अलवर (राज.) .... (निर्णय दिनांक 19.12.2025)

13. सुरेश मीना पुत्र कन्हेयालाल मीना, निवासी खोहरा मुल्ला, पुलिस थाना सलेमपुर, जिला दौसा (राज.) .... (निर्णय दिनांक 19.12.2025)

–– अभियुक्तगण।

अपराध अन्तर्गत धारा 323, 342, 395, 307, 398, 457, 120B, 411, 419, 420, 482 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3/25 आर्म्स एक्ट।

उपस्थितः–

1– विद्वान अपर लोक अभियोजक–राज्य की ओर से।

2– श्री दीपक शर्मा–प्रथम, विद्वान अधिवक्ता – अभियुक्त महेन्द्र की ओर से।

3– अभियुक्त मुल्कराज मफरूर चल रहा है एवं शेष अभियुक्तगण का फैसला हो चुका है।

निर्णय दिनांक : 26.02.2026

1. हस्तगत प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 22.11.19 को परिवादी नवल किशोर ने एक तहरीरी रिपोर्ट पुलिस थाना सैंथल में प्रस्तुत की, जिसमें उल्लेख किया कि वह आँधी का रहने वाला है तथा बासडी बाईपास पर स्थित शराब की दुकान पर सेल्समैन का काम करता है। दिनांक 21/11/2019 को शाम समय 8–00 बजे उसने दुकान बन्द कर दी थी तथा दुकान के उपर कन्टेनर पर वह व कानाराम मीना निवासी बाँसडी f उपर छत पर बैठे थे तो समय करीब 12–00 बजे एक बोलेरो गाडी व एक थार जीप व एक शिफ्ट गाडीयों में 10–12 लोग आए तथा उससे शराब मांगी। उसने उनको शराब देने से मना कर दिया तो उनमें से दो तीन आदमी कन्टेनर की छत पर चढ गए व उसे एवं कानाराम को छत से नीचे पटक कर नीचे लेकर बैठ गए तथा उसकी जेब में रखा पर्स, जिसमें उसका आधार कार्ड, ड्राईविंग लाइसेन्स व अन्य कागजात एवम दुकान की बिक्री के 9500/– रूपये निकाल लिए तथा शराब मांगी। उसने दुबारा उनको शराब देने से मना कर दिया तो उसके व सेल्समैन के साथ मारपीट कर दी व कन्टेनर गेट पर लगे ताले को तोडकर उसके अन्दर प्रवेश कर दुकान के अन्दर रखी शराब में से 15 बीयर केन king fisher 5 oc बो. 5 lb बो. 20 OC पव्वा 15 Dry जीन पव्वा 3 lb अद्दा 2 oc अद्दा 5 mcd रम अद्दा दो देशी पेटी निकालकर ले गए उक्त लोग आपस में एक दूसरे को हेमन्त,

महेन्द्र, सुरेन्द्र, गौतम, बनवारी, देवेश लोडा नाम से पुकार रहे थे। उनके पास जो गाडियां थी, उनके नम्बर RJ34UA3577, RJ29UA0588, RJ05TA1873 थे। उक्त लोगों ने उनके साथ मारपीट की थी, जिसमें उनके चोटें भी आईं। उनके जाने के बाद उसने सारी घटना ठेकेदार बाबूलाल मीना को बताई थी, वह घबराया हुआ है, रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करे..... आदि।

2. उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना सैंथल में प्राथमिकी संख्या 153/2019, धारा 307,395,342, 120 बी. भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया।

3. अनुसंधान उपरांत, पुलिस थाना सैंथल ने अभियुक्त सुरेश मीना के संबंध में धारा 173(8) दं.प्र.सं. के तहत अनुसंधान लंबित रखते हुए दिनांक 02.03.2020 को अभियुक्तगण —— विकास, हेमन्त उर्फ ढ़ानू, रामकिशोर उर्फ कालू उर्फ आर० के०, गौतम, देवेन्द्र उर्फ लोढ़ा, राजेन्द्र, लेखराज, राहुल, सुरेन्द्र, महेन्द्र के विरूद्ध धारा 323, 342, 395, 307, 398, 457, 120बी. 411, 419, 420, 482 भारतीय दण्ड़ संहिता में तथा अभियुक्तगण बनवारी लाल उर्फ गाँधी व मुल्कराज के विरूद्ध जुर्म धारा 323, 342, 395, 307, 398, 457, 120बी, 411, 419, 420, 482 भारतीय दण्ड़ संहिता व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में —— आरोप पत्र न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, दौसा के समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रसंज्ञान लेकर प्रकरण सत्र न्यायालय को सैशन कमिट कर प्रेषित किया गया, जो विधिवत सुनवाई एवं निस्तारण हेतु बाद अन्तरण इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

4. तत्पश्चात दिनांक 15.12.2020 को अभियुक्त सुरेश मीना विरुद्ध भी धारा धारा 323, 342, 395, 307, 398, 457, 120बी. 411, 419, 420, 482 भारतीय दण्ड़ संहिता में तितंबा आरोपपत्र न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, दौसा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने इस अभियुक्त के विरुद्ध भी प्रसंज्ञान लेकर प्रकरण सत्र न्यायालय को प्रेषित किया, जो इस न्यायालय में सुनवाई हेतु प्राप्त होने पर पंजीबद्ध कर मूल अभियोगपत्र से संलग्न किया गया।

5. यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण में पुलिस द्वारा शेष विधि से सँघर्षरत बालक—— दीपक पुत्र शैतान सिंह, उम्र, 17 साल, 11 माह, निवासी सूरजपुरा, पुलिस थाना सदर दौसा, जिला दौसा के विरूद्ध जुर्म धारा 323, 342, 395, 307, 398, 457, 120बी. 411, 419, 420, 482 भारतीय दण्ड़ संहिता में —— आरोप पत्र पृथकि से किशोर न्याय बोर्ड, न्यायालय, दौसा में पेश किया गया।

6. आरोपों पर बहस सुनने के उपरांत, दिनांक 02.02.2024 को अभियुक्तगण विकास, हेमन्त उर्फ ढ़ानू, रामकिशोर उर्फ कालू उर्फ आर० के०, गौतम, देवेन्द्र उर्फ लोढ़ा, राजेन्द्र, लेखराज, राहुल, सुरेन्द्र, महेन्द्र व सुरेश मीना को धारा 323, 342, 395, 307, 398, 457, 120बी. 411, 419, 420, 482 भारतीय दण्ड़ संहिता तथा अभियुक्तगण बनवारी लाल उर्फ गांधी व मुल्कराज को धारा 323, 342, 395, 307, 398, 457, 120बी, 411, 419, 420, 482 भारतीय दण्ड़ संहिता व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के आरोप पृथक रूप से विरचित कर सुनाए एवं समझाए गए, जिन पर अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार करते हुए विचारण चाहा।

7. हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण विकास, हेमन्त उर्फ ढ़ानू, रामकिशोर उर्फ कालू उर्फ आर० के०, गौतम, देवेन्द्र उर्फ लोढ़ा, राजेन्द्र, लेखराज, राहुल, सुरेन्द्र, बनवारी लाल उर्फ गांधी व सुरेश मीना —— के सम्बन्ध में दिनांक 19.12.2025 को प्रकरण का निर्णय हो चुका है। प्रकरण में अभियुक्तगण महेन्द्र को दिनांक 15.12.2025 को तथा अभियुक्त मुल्कराज को दिनांक 10.12.2025 को मफरूर घोषित किया गया।

8. तत्पश्चात दिनांक 31.01.2026 को अभियुक्त महेन्द्र का स्थाई वारण्ट गिरफ्तारी इस रिपोर्ट के साथ लौटाया गया कि वह अन्य प्रकरण में जिला जेल, दौसा में बन्द है, जिस पर उक्त अभियुक्त महेन्द्र को प्रोडक्शन वारण्ट से तलब करने के आदेश दिये गये। **अतः यह निर्णय केवल अभियुक्त महेन्द्र के संबंध में पारित किया जा रहा है।**

9. दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष द्वारा अपने पक्ष में दोषसिद्धि हेतु निम्न साक्ष्य प्रस्तुत किए गएः——

अभियोजन साक्ष्य तालिका

(A) मौखिक साक्ष्य

क्रमांक	**गवाह का नाम**
पी.डब्ल्यू.–1	अरविन्द कुमार
पी.डब्ल्यू.–2	नवल किशोर
पी.डब्ल्यू.–3	बरदू उर्फ बिरदी चंद
पी.डब्ल्यू.–4	कानाराम
पी.डब्ल्यू.–5	माँगीलाल
पी.डब्ल्यू.–6	राजेन्द्र कुमार
पी.डब्ल्यू.–7	मन्दीप कुमार
पी.डब्ल्यू.–8	लल्लू
पी.डब्ल्यू.–9	विजय
पी.डब्ल्यू.–10	रामबाबू
पी.डब्ल्यू.–11	बृजमोहन
पी.डब्ल्यू.–12	उमर सेन
पी.डब्ल्यू.–13	टिंकू
पी.डब्ल्यू.–14	बाबूलाल
पी.डब्ल्यू.–15	राकेश
पी.डब्ल्यू.–16	मुकेश कुमार
पी.डब्ल्यू.–17	डॉ0 गोपाल लाल

क्रमांक	गवाह का नाम
पी.डब्ल्यू.–18	मनमोहन
पी.डब्ल्यू.–19	अमर सिंह
पी.डब्ल्यू.–20	दिनेश
पी.डब्ल्यू.–21	अजय
पी.डब्ल्यू.–22	मौसम
पी.डब्ल्यू.–23	रतनलाल
पी.डब्ल्यू.–24	समन्दर सिंह
पी.डब्ल्यू.–25	रामशरण
पी.डब्ल्यू.–26	महेन्द्र
पी.डब्ल्यू.–27	रविन्द्र कुमार
पी.डब्ल्यू.–28	राकेश
पी.डब्ल्यू.–29	प्रभात
पी.डब्ल्यू.–30	बाबूलाल
पी.डब्ल्यू.–31	बृजेन्द्र
पी.डब्ल्यू.–32	देशराज
पी.डब्ल्यू.–33	रामराज
पी.डब्ल्यू.–34	कमल
पी.डब्ल्यू.–35	सीताराम
पी.डब्ल्यू.–36	लक्ष्मीकांत
पी.डब्ल्यू.–37	महावीर प्रसाद

(B) दस्तावेजी साक्ष्य

क्रमांक	दस्तावेज का विवरण	प्रदर्श संख्या
1	फर्द बरामदगी	प्रदर्श पी.1
2	नक्शा मौका	प्रदर्श पी.2
3	नक्शा मौका	प्रदर्श पी.3
4	पुलिस बयान धारा 161 द.प्र.सं. नवलकिशोर	प्रदर्श पी.4
5	तहरीरी रिपोर्ट	प्रदर्श पी.5
6	नक्शा मौका	प्रदर्श पी.6
7	एम.एल.सी. नवलकिशोर	प्रदर्श पी.7
8	फर्द जब्ती	प्रदर्श पी.8

क्रमांक	दस्तावेज का विवरण	प्रदर्श संख्या
9	चॉक एफ.आई.आर.	प्रदर्श पी.9
10	पुलिस बयान धारा 161 द.प्र.सं. लल्लूराम	प्रदर्श पी.10
10 ए.	नक्शा मौका	प्रदर्श पी.9
11	पुलिस बयान धारा 161 द.प्र.सं. विजय मीना	प्रदर्श पी.11
12	पुलिस बयान धारा 161 द.प्र.सं. रामबाबू	प्रदर्श पी.12
13	वाहन ई.सी.यू. रिपोर्ट	प्रदर्श पी.13
14	रीड ई.सी.यू. आई.डी.	प्रदर्श पी.14
15	के.एस. मोटर्स की रिपोर्ट	प्रदर्श पी.15
16	के.एस. मोटर्स की रिपोर्ट	प्रदर्श पी.16
17 17 ए.	पुलिस बयान धारा 161 द.प्र.सं. कुंवर सेन फर्द जब्ती आर.सी.	प्रदर्श पी.17 प्रदर्श पी.17
18	पुलिस बयान धारा 161 द.प्र.सं. राकेश	प्रदर्श पी.18
19	एम.एल.सी. कानाराम	प्रदर्श पी.19
20	फर्द जब्ती कागजात	प्रदर्श पी.20
21	फर्द जब्ती शराब	प्रदर्श पी.21
22	नक्शा मौका	प्रदर्श पी.22
23	नक्शा मौका	प्रदर्श पी.23
24	देशी पिस्टल निरीक्षण रिपोर्ट	प्रदर्श पी.24
25	फर्द जब्ती आर.सी.	प्रदर्श पी.25
26	इकरारनामा प्रति	प्रदर्श पी.26
27	आर. सी. प्रति	प्रदर्श पी.27
28	अभियोजन स्वीकृति	प्रदर्श पी.28
29	मालखान रजिस्टर प्रति	प्रदर्श पी.29
30	फर्द जब्ती	प्रदर्श पी.30
31	फर्द गिरफ्तारी मुल० हेमन्त	प्रदर्श पी.31
32	फर्द गिरफ्तारी मुल० रामकिशोर	प्रदर्श पी.32
33	फर्द गिरफ्तारी मुल० गौतम	प्रदर्श पी.33
34	फर्द गिरफ्तारी मुल० देवेन्द्र	प्रदर्श पी.34
35	फर्द गिरफ्तारी मुल० राजेन्द्र	प्रदर्श पी.35
36	फर्द गिरफ्तारी मुल० लेखराज	प्रदर्श पी.36

क्रमांक	दस्तावेज का विवरण	प्रदर्श संख्या
37	फर्द गिरफ्तारी मुल० दीपक	प्रदर्श पी.37
38	फर्द गिरफ्तारी मुल० राहुल	प्रदर्श पी.38
39	फर्द गिरफ्तारी मुल० सुरेन्द्र	प्रदर्श पी.39
40	फर्द गिरफ्तारी मुल० महेन्द्र	प्रदर्श पी.40
41	फर्द गिरफ्तारी मुल० मुल्कराज	प्रदर्श पी.41
42	फर्द गिरफ्तारी मुल० बनवारी लाल	प्रदर्श पी.42
43	फर्द इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधि. मुल० महेन्द्र	प्रदर्श पी.43
44	फर्द इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधि. मुल० दीपक	प्रदर्श पी.44
45	फर्द इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधि. मुल० गौतम	प्रदर्श पी.45
46	फर्द इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधि. मुल० मुल्कराज	प्रदर्श पी.46
47	फर्द इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधि. मुल० बनवारी	प्रदर्श पी.47
48	फर्द इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधि. मुल० लेखराज	प्रदर्श पी.48
49	फर्द इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधि. मुल० विकास	प्रदर्श पी.49
50	फर्द इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधि. मुल० राजेन्द्र	प्रदर्श पी.50
51	फर्द इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधि. मुल० रामकिशोर	प्रदर्श पी.51
52	फर्द इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधि. मुल० देवेन्द्र	प्रदर्श पी.52
53	फर्द इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधि. मुल० राहुल	प्रदर्श पी.53
54	फर्द इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधि. मुल० हेमन्त	प्रदर्श पी.54
55	फर्द इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधि. मुल० सुरेन्द्र	प्रदर्श पी.55
56	फर्द जब्ती वाहन	प्रदर्श पी.56
57	फर्द जब्ती जीप	प्रदर्श पी.57
58	फर्द जब्ती शिफ्ट डिजायर	प्रदर्श पी.58
59	फर्द जब्ती पिस्टल	प्रदर्श पी.59
60	फर्द जब्ती पिस्टल	प्रदर्श पी.60
61	फर्द इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधि. मुल० महेन्द्र	प्रदर्श पी.61
62	फर्द इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधि. मुल० देवेन्द्र	प्रदर्श पी.62
63	आरमोर्र हेतु तहरीर	प्रदर्श पी.63
64	फर्द इत्तला मुल० गौतम	प्रदर्श पी.64–66
65	एफ.आई.आर. नं. 511 थाना सैक्टर 10, गुरूग्राम	प्रदर्श पी.67
66	नोटिस जवाब हेतु	प्रदर्श पी.68
67	धारा 65 बी. प्रमाण पत्र मय कॉल डिटेल	प्रदर्श पी.69–108

क्रमांक	दस्तावेज का विवरण	प्रदर्श संख्या
68	पंचनामा नोट्स	प्रदर्श पी.109
69	पंचनामा नोट्स	प्रदर्श पी.109 ए
70	ई चालान	प्रदर्श पी.110
71	फोटोग्राफ्स	प्रदर्श पी.112 लगायत 116
72	फर्द गिरफ्तारी मुल0 सुरेश	प्रदर्श पी.117
73	आपराधिक रिकॉर्ड हेमन्त	प्रदर्श पी.118
74	आपराधिक रिकॉर्ड महेन्द्र	प्रदर्श पी.119
75	आपराधिक रिकॉर्ड बनवारी लाल	प्रदर्श पी.120
76	आपराधिक रिकॉर्ड रामकिशोर	प्रदर्श पी.121
77	एफ.आई.आर. नं. 511 थाना सैक्टर 10, गुरूग्राम	प्रदर्श पी.122
78	आर. सी. वाहन	प्रदर्श पी.123

10. अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति के पश्चात अभियुक्त महेन्द्र के कथन भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन दिनांक 20.02.2026 को जरिए वी.सी. लिये गये। अभियुक्त ने समस्त अभियोजन साक्ष्यों को गलत बताते हुए प्रकरण को पूर्णतः झूँठा करार दिया और कथन किया कि वह निर्दोष है, उसे झूँठा फँसाया गया है। साक्ष्य सफाई पेश करना नहीं चाहा और ना ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश हुई।

11. अभियोजन एवं बचाव पक्ष की अंतिम बहस सुनी गई, पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया।

12. अंतिम बहस में विद्वान अपर लोक अभियोजक का तर्क यह रहा कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोपों को प्रमाणित करने हेतु पर्याप्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध हैं। मुलजिमान द्वारा लूटी गयी शराब, परिवादी नवल किशोर की जेब में रखे पर्स से उसका आधार कार्ड, डाईविंग लाईसेंस व शराब की बिक्री के 95.00/–रुपये अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद हुए हैं तथा घटना में प्रयुक्त वाहन व उनके असल रजिस्ट्रेशन इत्यादि कागजात की अभियुक्तगण की इत्तला पर बरामदगी हुई है। आहतगण ने अभियुक्तगण को न्यायालय में पहचाना है। अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित गवाहों के बयानों में ऐसा कोई विरोधाभास नहीं है, जो अभियोजन की कहानी को प्रभावित करे। गवाहों ने अपने बयानों एवं प्रस्तुत साक्ष्यों से घटना को पूर्णतः सिद्ध किया है, अतः अभियुक्त महेन्द्र को भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 342, 395, 307, 398, 457, 120बी, 411, 419, 420, 482 भारतीय दण्ड़ संहिता के अंतर्गत दंडित किया जाए।

13. इसके विपरीत, अभियुक्त महेन्द्र के विद्वान अधिवक्ता के यह तर्क रहे हैं कि अभियुक्त पूर्णतः निर्दोष है, उसके विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में कोई प्रत्यक्षदर्शी या परिस्थितिजन्य साक्ष्य पेश नहीं आई है। प्रकरण का परिवादी–आहत (पी.डब्ल्यू. 2) नवल किशोर पूर्णतया पक्षद्रोही घोषित हुआ, जो तहरीरी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी. 5 में अँकित तथ्यों की पुष्टि नहीं करते हुए विरोधाभासी कथन करता है। अन्य आहत (पी.डब्ल्यू. 4) कानाराम भी पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जो अपराध घटना के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं करता है। इसी तरह प्रकरण के प्रत्यक्षदर्शी बताये गये गवाहान (पी. डब्ल्यू–8) लल्लू, (पी.डब्ल्यू.9) विजय, (पी.डब्ल्यू.10) रामबाबू एवं (पी.डब्ल्यू. 5) माँगीलाल आदि भी पूर्णतया पक्षद्रोही घोषित हुए हैं, जो अभियुक्त द्वारा आरोपित अपराध कारित किये जाने के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं करते हैं।

14. आगे उनके यह भी तर्क रहे हैं कि अभियोजन साक्ष्यों में गंभीर तात्विक विरोधाभास आए हैं, जिससे अभियोजन कहानी व अपराध घटना की ताईद नहीं होती है। अभियुक्तगण द्वारा दी गयी इत्तला व उनसे की गई बरामदगी का तथ्य भी साबित नहीं होता है, जिससे अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध व कथित घटना की पुष्टि नहीं होती है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अभियुक्त के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित नहीं करते हैं। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

15. उभय पक्षों के तर्कों पर विचारोपरांत एवं पत्रावली के समग्र परीक्षण के पश्चात इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित बिंदु विचारणीय हैं—

(1) क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 21.11.2019 व 22.11.2019 की दरमियानी रात्रि 12 बजे के लगभग मौजा बासडी बाईपास स्थित शराब की दुकान के ऊपर बने कन्टेनर से परिवादी नवल किशोर व मजरूब कानाराम को नीचे पटक कर उनके साथ मारपीट कर कुन्द हथियार से साधारण उपहतियां कारति की ? इस प्रकार क्या अभियुक्तगण ने भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत दंडनीय अपराध कारित किया ?

(2) क्या अभियुक्तगण ने परिवादी नवल किशोर व मजरूब कानाराम को शराब की दुकान के ऊपर बने कन्टेनर से नीचे पटक कर लेकर बैठ गये व उन्हें इच्छित दिशा में जाने से रोक उनका सदोष परिरोध किया ? इस प्रकार क्या अभियुक्तगण ने भारतीय दंड संहिता की धारा 342 के तहत दंडनीय अपराध कारित किया ?

(3) क्या अभियुक्तगण ने अपने साथी मुलजिमान के साथ मिल कर परिवादी नवल किशोर व मजरूब कानाराम को शराब की दुकान ऊपर बने कन्टेनर से जबरन नीचे पट कर उन्हें लेकर बैठ गये और परिवादी नवल किशोर की जेब में रखे पर्स से उसका आधार कार्ड, डाईविंग लाईसेंस व शराब की बिक्री के 9500/–रुपये निकाल लिये तथा शराब देने से मना करने पर परिवादी नवल किशोर व मजरूब कानाराम के साथ घातक हथियारों से मारपीट कर कन्टेनर पर लनगे ताले को तोड कर दुकान के अन्दर

रखी शराब में से 15 बीयर केन, King fisher 50 बो. 51 lb बो, 20 OC पव्वा, 17 डाई जीन पव्वा, 31lb अद्धा, 2 OC अद्धा, 5 mcd रम अद्धा दो देशी पेटी जबरन लूटर कर डकैती कारित की ? इस प्रकार क्या अभियुक्तगण ने भारतीय दंड संहिता की धारा 395 के तहत दंडनीय अपराध कारित किया ?

(4) क्या अभियुक्तगण ने अपने साथी मुलजिमान के साथ मिलकर परिवादी नवल किशोर व मजरूब कानाराम को शराब की दुकान के ऊपर बने कन्टेनर से घातक हथियारों से मारपीट कर इस आशय या ज्ञानपूर्वक के साथ जबरन नीचे पटका कि यदि आपके उक्त कृत्य के परिणामस्वरू उनकी मृत्यु हो जाती तो अभियुक्तगण हत्या के अपराध के दोषी होते और इस प्रकार अभियुक्तगण ने परिवादी नवल किशोर व मजरूब कानाराम की हत्या का प्रयत्न किया ? इस प्रकार क्या अभियुक्तगण ने भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत दंडनीय अपराध कारित किया ?

(5) क्या अभियुक्तगण ने अपने साथी मुलजिमान के साथ मिलकर परिवादी नवल किशोर व मजरूब कानाराम को शराब की दुकान के ऊपर बने कन्टेनर से जबरन नीचे पटक कर परिवादी नवल किशोर की जेब में रखे पर्स से उसका आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस व शराब की बिकी के 9500/–रुपये निकाल लिये तथा शराब की बोतल, अद्धा व पव्वा आदि घातक हथियारों से सुसज्ञित होकर जबरन लूट कर ले गये एवं डकैती का अपराध कारित किया ? इस प्रकार क्या अभियुक्तगण ने भारतीय दंड संहिता की धारा 398 के तहत दंडनीय अपराध कारित किया ?

(6) क्या अभियुक्तगण ने अपने साथी मुलजिमानों के साथ मिल कर परिवादी नवल किशोर व मजरूब कानाराम की शराब की दुकान में कारावास से दण्डनीय अपराध कारित करने के लिए अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रि गृह भेदन किया। इस प्रकार क्या अभियुक्तगण ने भारतीय दंड संहिता की धारा 457 के तहत दंडनीय अपराध कारित किया ?

(7) क्या अभियुक्तगण ने अपने साथी मुलजिमानों के साथ मिलकर परिवादी नवल किशोर व मजरूब कानाराम के साथ मारपीट कर उनकी जेब से नकद राशि व अन्य कागजात तथा शराब लूट कर ले लाकर डकैती कारित करने का आपराधकि षड्यंत्र किया ? इस प्रकार क्या अभियुक्तगण ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120–बी के तहत दंडनीय अपराध कारित किया ?

(8) क्या अभियुक्तगण ने अपने साथी मुलजिमान के साथ मिल कर परिवादी नवल किशोर व मजरूब कानाराम के कब्जे व आधिपत्य से डकैती कर चुरावे गये आधार कार्ड, डाईविंग लाईसेंस, राशि 9500/– व शराब बरामद हुए तथा अभियुक्त मुल्कराज के कब्जे से घटना में प्रयुक्त वाहन बोलेरो नम्बर आर जे 29 यू ए 0588 का जांच के दौरान सही नम्बर आर जे 40 यू ए 0324 होना पाया गया, जो इलाका थाना सेक्टर नं० 10 गुडगाँव (हरियाणा) से एफ० आई०आर० नम्बर 588/2019 के

अनुसार चोरी हुई पायी गई। इस प्रकार अभियुक्तगण ने चुराई हुई सम्पत्ति को चारी की जानते हुये बेईमानी से प्राप्त कर अपने कब्जे में रखा ? इस प्रकार क्या अभियुक्तगण ने भारतीय दंड संहिता की धारा 411 के तहत दंडनीय अपराध कारित किया ?

(9) क्या अभियुक्तगण ने अपने साथी मुलजिमान के साथ मिलकर वक्त घटना प्रयुक्त वाहन नम्बर आर जे 29 यू ए 0588 जो अभियुक्त मुल्कराज के कब्जे से बरामद हुआ पर उक्त वाहन नम्बर की फर्जी व कूटरचित नम्बर प्लेट लगाकर प्रतिरूपेण द्वारा छल कारित किया, जबकि जाँच में उक्त वाहन का सही नम्बर आर जे 40 यू ए 0324 होना पाया गया ? इस प्रकार क्या अभियुक्तगण ने भारतीय दंड संहिता की धारा 419 के तहत दंडनीय अपराध कारित किया ?

(10) क्या अभियुक्तगण ने अपने साथी मुलजिमान के साथ मिलकर कारित की गई डकैती में प्रयुक्त व अभियुक्त मुल्कराज के कब्जे से बरामद वाहन बेलोरो पर छल करने के प्रयोजन से वाहन नम्बर आर जे 29 यू ए 0588 की फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर व इसी नम्बर की कूटरचित आर० सी० बनाकर अपने पास रखी, जबकि जाँच के दौरान उक्त नम्बर की बेलोरों कैलाश मीना के नाम रजिस्टर्ड होकर करीब 8–9 माह पूर्व खेडलीगंज में कबाड़ी को बेच देना तथा अभियुक्त विकास के पिता के नाम से फर्जी रजिस्टर्ड नम्बर प्लेट लगवाकर इंजन व चेचिस नम्बर अंकित किये गये, जबकि जाँच में उक्त वाहन के सही नम्बर आर जे 40 यू. ए 0324 होना व इलाका थाना सेक्टर नम्बर गुडगाँव हरियाणा से एफ०आई०आर० नम्बर 588/19 के अनुसार चुराया हुआ वाहन पाया गया। इस प्रकार आपने छल कर सम्पत्ति परिदत्त करने के लिए वाहन में कूटरचित नम्बर प्लेट लगाकर फर्जी आर० सी० बनाकर बेईमानी से उत्प्रेरित कर मूल्यवान प्रतिभूति को परिवर्तित कर कूटरचना कारित की ? इस प्रकार क्या अभियुक्तगण ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत दंडनीय अपराध कारित किया ?

(11) क्या अभियुक्तगण ने अपने साथी मुलजिमान के साथ मिलकर कारित की गई डकैती में प्रयुक्त व अभियुक्त मुल्कराज के कब्जे से बरामद वाहन बोलेरो पर वाहन नम्बर आर. जे. 29 यू ए 0588 की नम्बर की फर्जी व कूटरचित नम्बर प्लेट लगाकर मिथ्या सम्पत्ति चिन्ह का इस आशय से उपयोग किया कि परिवादी नवल किशोर व मजरूब कानाराम को व पुलिस कार्यवाही से बचने के लिये प्रवचित कर उन्हें क्षति कारित की जा सके ? इस प्रकार क्या अभियुक्तगण ने भारतीय दंड संहिता की धारा 482 के तहत दंडनीय अपराध कारित किया ?

(12) यदि उपरोक्त बिंदुओं का उत्तर 'हाँ' में है, तो अभियुक्तगण को किस प्रकार का दंड उपयुक्त होगा?

16. उपर्युक्त विचारणीय प्रश्नों के संदर्भ में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों में प्रकरण के परिवादी–आहत (पी.डब्ल्यू. 2) नवल किशोर की साक्ष्य महत्वपूर्ण है, जिसमें उसका यह कथन है कि वह बाछडी बायपास पर दारू के ठेके पर सेल्समेन का काम करता था। वह अनुज्ञाधारी सरला देवी के नाम था, लेकिन बाबूलाल मीना व जगदीश मीना उस ठेके को चलाते थे। सन् 2019 के लगभग की बात है, वह मौके पर नहीं था, वह तो दुकान बढ़ाकर चला गया था। इस गवाह को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही करार दिया गया है एवं अभियोजन द्वारा की गई जिरह में इसके यह कथन हैं कि उसने पुलिस बयान प्रदर्श पी. 4 का ए. से बी. भाग पुलिस को नहीं दिया। उसने तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी. 5 दर्ज नहीं करवाई। प्रदर्श पी. 5 तहरीरी रिपोर्ट पर दो जगह कार्यवाही पुलिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। इसी तरह नक्शा मौका प्रदर्श पी. 6, उसकी चोटों के डॉक्टरी मुआयना प्रदर्श पी. 7, चॉक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी. 9 पर गवाह अपने हस्ताक्षर होना कथन अवश्य करता है, लेकिन इस गवाह का आगे यह भी कथन है कि वह मुलजिमान को पहचानता भी नहीं है। दुकान में क्या क्या सामान, दारू की बोतल, पैसे चोरी हुए, वह नहीं बता सकता। वह ठेकेदार के यहाँ नौकरी करता था, इसलिए खाली कागजों पर हस्ताक्षर करना बताता है। जिरह द्वारा सभी अधिवक्तागण में इसके यह कथन हैं कि एफ.आई.आर. प्रदर्श पी. 5 उसकी कलमी नहीं है, उसके तो खाली कागज पर हस्ताक्षर करवाये थे। यह उसकी जानकारी में नहीं है कि किसके कितनी चोट आयी। उसके कोई चोट नहीं आयी। उसके पुलिस में कोई बयान नहीं हुए। चोट प्रतिवेदन नवल किशोर प्रदर्श पी. 7 के अवलोकन से भी इसके दांये कँधे पर केवल दर्द की शिकायत होना जाहिर की गई है, जिसकी प्रकृति को देखते हुए चिकित्सक द्वारा कोई एक्सरे आदि भी नहीं कराया गया है। इस प्रकार प्रकरण का परिवादी–आहत (पी.डब्ल्यू. 2) नवल किशोर पूर्णतया पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जिसने अपराध घटना की लेशमात्र ताईद नहीं की है एवं पुलिस बयान प्रदर्श पी. 4 से भी स्पष्टतया इन्कार करता है।

17. प्रकरण के अन्य आहत (पी.डब्ल्यू. 4) कानाराम के यह कथन हैं कि नक्शा मौका प्रदर्श पी. 6 पर सी. से डी. उसके हस्ताक्षर हैं, जो हस्ताक्षर थाने पर कराये थे। इस गवाह को भी अभियोजन ने पक्षद्रोही घोषित कराया है। इस गवाह द्वारा अपने चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी. 19 को भी ताईद नहीं किया गया है, जिसमें उसके दाँयी कोहिनी पर खरोंचनुमा साधारण चोट बताई गई है। इस प्रकार प्रकरण के अन्य आहत (पी.डब्ल्यू. 4) कानाराम भी पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जो अपराध घटना के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं करता है। जबकि परिवादी–आहत (पी.डब्ल्यू. 2) नवल किशोर द्वारा रिपोर्ट प्रदर्श पी. 5 में वक्त घटना इस गवाह को मौके पर मौजूद होने के तथ्य अँकित किये गये हैं।

18. इसी प्रकार अन्य प्रत्यक्षदर्शी बताया गया गवाह (पी. डब्ल्यू–8) लल्लू पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जो यह कथन करता है कि वर्ष 2019 में ग्राम डांगरवाडा का ठेका जयपुर के भागीरथ का था, जहाँ पर वह सेल्समेन का काम करता था। उसका बेटा विजय कुमार भी ठेके पर ही काम करता था और उसके साथ ही ठेके पर रहता था। तारीख याद नहीं है सर्दियों की बात है समय रात के 9–10 बजे की बात है, 6–7 लोग ठेके पर शराब लेने आए तो उसने मना कर दिया तो वो लोग चले गए। मना करने पर गाली गलोच करके वो

चले गए। डांगरवाडा का ठेका भागीरथ के नाम था। उसका बेटा विजय मीणा भी वहीं पर सोता हैं। दिनांक 21.11.2019 को रात को ठेका बंद करके वह और विजय दोनों बाहर ही सो रहे थे। उस दिन रात्रि को 12.20 पर बोलेरा आर जे. 29 और थार आई, जिसमें से 5–7 लोग नीचे आए। उन्होने शराब मांगी तो उन्होने देने से मना कर दिया। तीन चार लोगों ने विजय के साथ गाली गलोच की। उन लोगों में हेमन्त बालाहेडी, मेहन्द्र राम्यवाला, देवेन्द्र शेखावाला हो तो उसे पता नहीं है, फिर कहा कि वह इन्हें नहीं जानता। उनमें से 5–7 लोग आए थे। इस प्रकार उक्त प्रत्यक्षदर्शी गवाह भी अभियुक्तगण पर आरोपित अपराधों के सम्बन्ध में कोई विश्वसनीय कथन नहीं करता है।

19. अन्य प्रत्यक्षदर्शी गवाह (पी.डब्ल्यू.9) विजय भी पक्षद्रोही हुआ है, जिसका यह कथन है कि करीब 4–5 साल पहले की बात है, ठेका मनोहरपुर रोड पर स्थित है। उसके पिताजी लल्लू राम मीणा ठेके पर सेल्समेन थे। रात्रि को वह और उसके पापाजी ठेके पर सोते थे। उस दिन वह और उसके पिताजी सो रहे थे तो 5–7 लोग ठेके पर आए और आने के बाद उन्होंने दारू मांगी। उन्होंने दारू देने से मना कर दिया। तो वे लोग गाली गलोच करने लग गए। पुलिस मौके पर आई और लिखा पढी की थी। इस प्रकार उक्त प्रत्यक्षदर्शी गवाह भी अभियुक्तगण पर आरोपित अपराधों के सम्बन्ध में कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं देता है।

20. इसी तरह गवाह (पी.डब्ल्यू.10) रामबाबू भी पक्षद्रोही हुआ है, जिसका यह कथन रहा है कि बासडी बायपास पर शराब की दुकान को वह चला रहा था जो किसी महिला के नाम से थी वह परिवार में ही थी। उस दुकान पर कानाराम व नवलकिशोर सेल्समैन का काम करते थे। रात्रि के करीब 12 बजे की बात थी तारीख आज मुझे याद नहीं है उसके पास फोन आया था कुछ लोगों ने शराब मांगी थी, उनके बीच में लडाई झगडा हो गया, जिनके नाम आज उसे याद नहीं है। उसने पुलिस को नाम बताए हों तो उसे नाम याद नहीं है। दुकान में से करीब पन्द्रह हजार रूपए और दारू ले गए थे। उसे कानाराम ने फोन किया था। कानाराम का फोन आने पर उसने थानेदार को बताया, जिस पर नाकाबंदी करवाई गयी। सेल्समैन नवल किशोर व कानाराम को कंटेनर की छत से फेंक दिया था। उसे फोन पर बताया था कि मुलजिमान के पास एक स्विफट गाडी थी और एक थार गाडी थी, नाम भी बताए थे, परन्तु आज उसे याद नहीं हैं। उक्त गवाह भी अभियुक्तगण द्वारा अपराध घटना कारित किये जाने के सम्बन्ध में कोई विश्वसनीय कथन नहीं करता है।

21. अभियोजन गवाह (पी.डब्ल्यू. 5) माँगीलाल भी पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जो अपने सामने कोई घटना नहीं होने के कथन करता है।

22. गवाह (पी.डब्ल्यू. 12) उमर सेन भी पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जो कब की बात है, उसे पता नहीं। घटना क्या हुई, उसे पता नहीं। वह मजदूरी करता है।

23. गवाह (पी.डब्ल्यू. 115) राकेश भी पक्षद्रोही घोषित हुआ है, उसे गाड़ी के बारे में कुछ भी पता नहीं होने के कथन करता है।

24. अभियोजन के अन्य गवाह पी.डब्ल्यू.1 अरविन्द कुमार मुलजिम हेमन्त की इतला से आठ हजार रूपए बरामद किए जाने की फर्द प्रदर्श पी–01 एवं बरामदगी स्थल के नक्शा मौका की फर्द प्रदर्श पी–02 तथा मुलजिम गौतम व विकास मीना की इतला से बोलेरो नंबर आर.जे.29 यू.ए. 0588 के इंजन व चेचिस बेचने के स्थान कवाडाखाना कुंवर सिंह खटीक निवासी खेडली गंज की कराई जाने का नक्शा मौका निशादेही प्रदर्श पी–03 के सम्बन्ध में कथन करता है।

25. गवाह पी.डब्ल्यू–3 बरदू उर्फ बिरदी चंद 1873 नंबर की स्विफट डिजायर गाडी शोभाराम से ढाई लाख रूपए में खरीदने और उस गाड़ी को अपने लडके रामकिशोर को देने के कथन करता है। आगे यह भी कथन किया कि रामकिशोन ने उसे फोन किया कि वह गाडी सैंथल थाने में आ गयी है, कागज लेकर सैंथल थाने में आ जाओ। वह थाने में कागज देकर बाहर आने के कथन करता है।

26. गवाह पी.डब्ल्यू–6 राजेन्द्र कुमार मुल्जिमान विकास, मुल्कराज, गौतम, दीपक, सुरेन्द्र, हेमंत, राहूल. बनवारीलाल, महेन्द्र, देवेन्द्र, रामकिशोर, राजेन्द्र लेखराज की निशादेही से बाबूलाल मीणा के खेत पर रखे शराब के कंटेनर शराब की दुकान का नक्शा मौका प्रदर्श पी 09 बनाये जाने का औपचारिक साक्षी है।

27. गवाह पी.डब्ल्यू–7 मन्दीप कुमार अभियुक्त हेमन्त के रिहायसी मकान गांव बालाहेडी स्थिल गोपा के बास स्थित मकान पर अभियुक्त हेमन्त द्वारा घर के अंदर से चारपाई पर बिछे गद्दे के नीचे से 8,000/– रूपये बरामद कराए जाने के कथन करता है, जिसमें 2000 रूपये के तीन नोट व 500 रूपये 4 नोट थे, जो कुल 8000 रूपये होने, जिसकी फर्द बरामदगी प्रदर्श पी 1 है, जिसका नक्शा मौका प्रदर्श पी 2 के सम्बन्ध में साक्ष्य देता है।

28. गवाह पी.डब्ल्यू.11 बृजमोहन पुलिस थाने पर ईसीयू और डीएमएस साफटवेयर के माध्यम से जब्तशुदा वाहन आर जे 29 यू ए 0588 बोलेरो का निरीक्षण करने तथा लैपटॉप से जाँच करने पर उपरोक्त वाहन के नंबर आर जे 40 यूए 0224 पाने और रिपोर्ट प्रदर्श पी–13 एवं सिस्टम से जेनरेटेड रिपोर्ट प्रदर्श पी–14, प्रदर्श पी–15 व प्रदर्श पी–16 होने के कथन करता है।

29. गवाह पी.डब्ल्यू.13 टिंकू सन 2018 में उसकी गाडी नं आरजे40 यूए 0324 गुडगाँव सेक्टर 10 के बारह खडी होने व उसका ड्राइवर राजेश उसे लेकर जाने तथा जिसको कोई अज्ञात व्यक्ति सेक्टर 10 के आगे से चुराकर लेकर जाने पर मुकदमा गुडगाँव सेक्टर 10 थाने में दर्ज कराने तथा दस्तयाब होने के बाद सदर थाना दौसा की आकर देखने पर चोरों ने फर्जी नम्बर प्लेट लगा रखी होने सम्बन्धी कथन करता है।

30. गवाह पी.डब्ल्यू.14 बाबूलाल व पी.डब्ल्यू.16 मुकेश कुमार मूल आरसी आरजे 34 वीए 3577 की फर्द जब्ती प्रदर्श पी 17 के औपचारिक साक्षी हैं।

31. गवाह पी.डब्ल्यू.18 हरिसिंह दिनांक 26–11–2019 को पुलिस थाना सैंथल में कांस्टैबल के पद पर तैनात रहते हुए इंचार्ज साहब के साथ उक्त मुकदमे की तफतीश में जाने के कथन करता है। उक्त गवाह ने मुलजिम महेन्द्र मीणा से मुस्तगीस नवल किशोर का मूल आधार कार्ड व डाइविंग लाईसेंस की जब्ती प्रदर्श पी० 20, मुलजिम देवेन्द्र उर्फ लोटा के मकान से दो कार्टून देशी शराब के व 10 पव्वे आफिसर चाइस के व 10 पव्वे डाईजिन के जरिए प्रदर्श पी० 21 बरामद करवाये जाने और उस जगह का नकशा मौका प्रदर्श पी० 22 के सम्बन्ध में कथन करता है।

32. गवाह पी.डब्ल्यू.19 अमरसिंह आममोंरर है, जिसने मुकदमा नं 153/19 पुलिस थाना सैंथल में जब्तशुदा देसी पिस्टलों पैकेट मार्का ए व बी को सील्डशुदा हालत में श्री रवीन्द्र कुमार एस.आई. एस.एच.ओ. पुलिस थाना सदर दौसा लेकर आने पर सील्ड तोडकर निरीक्षण कर आर्मोरर रिपोर्ट प्रदर्श पी 24 तैयार करने की साक्ष्य देता है।

33. गवाह पी.डब्ल्यू.20 दिनेश कुमार गिरफ्तारशुदा मुल्जिमान मुल्कराज, देशराज, विकास, देवेन्द्र वगैरह की निशादेही से तस्दीक नक्शा मौका घटनास्थल का ग्राम बॉसडी बाइपास पर प्रदर्श पी 09 उसके सामने बनाये जाने के कथन करता है।

34. गवाह पी.डब्ल्यू.21 अजय एवं पी.डब्ल्यू.22 मौसम उक्त प्रकरण में एक जब्तशुदा स्विफ्ट डिजायर आरजे 05 टीए 1873 नम्बर की आर.सी. व इकरारनामा की प्रति जो मौसम ने दी थी, जरिए फर्द जब्ती प्रदर्श पी 25 जब्त करने तथा इकरारनामा प्रति प्रदर्श पी 26 व आर.सी. की प्रति प्रदर्श पी 27 होने के कथन करते हैं।

35. गवाह पी.डब्ल्यू.23 रतन लाल बंशीवाल दिनांक 12–02–2020 को श्री अविचल चतुर्वेदी, जिला कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट के अधीन वरिष्ठ सहायक, न्याय अनुभाग में कार्यरत रहते हुए पुलिस थाना सैंथल की मुकदमा नं 153/19 की पत्रावली में मुल्जिम मुल्कराज व बनवारी उर्फ गाँधी के विरूद्ध धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने के लिये प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर मुल्जिमान मुल्कराज व बनवारी दोनों के विरूद्ध आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 का अपराध बनना पाये जाने पर अभियोजन चलाए जाने की स्वीकृति प्रदर्श पी 28 प्रदान करने के कथन करता है।

36. गवाह पी.डब्ल्यू.24 समन्दर सिंह एच.एम. मालखाना श्री रामराज सिंह के अवकाश पर होने के कारण एच. एम. मालखाना चार्ज उसके पास होने एवं मालखाना रजिस्टर मूल प्रदर्श पी 29 व उसकी प्रति प्रदर्श पी. 29 में वर्णितानुसार प्रकरण का माल, वजह, सबूत जमा करने की साक्ष्य देता है।

37. गवाह पी.डब्ल्यू.26 महेन्द्र सन 2018 में अपनी गाडी थार जीप नम्बर आरजे34 यूए 3577 उसके दोस्त वेदप्रकाश को चलाने के लिये दिये जाने और वेदप्रकाश की मार्च 2019 में मृत्यु होने पर उस जीप को बनवारी उर्फ गाँधी चलाने के लिये ले जाने तथा दिनांक 21–11–2019 को उस जीप को बनवारी उर्फ गाँधी चला रहे होने की साक्ष्य देता है।

38. प्रकरण का प्रथम अनुसंधानकर्ता गवाह पी.डब्ल्यू.25 रामशरण का यह कथन है कि वह दिनांक 22–11–2019 को पुलिस थाना सैंथल में थानाधिकरी के पद पर कार्यरत रहते हुए परिवादी नवलकिशोर मीणा द्वारा पेश तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 05 पर मुकदमा दर्ज कर स्वयं द्वारा तफतीश के सम्बन्ध में औपचारिक कथन करता है एवं अनुसंधान के दौरान बनाई गई सभी फर्दात की ताईद करते हुए उन पर अपने हस्ताक्षर होना बताता है। आगे यह गवाह पुलिस अधीक्षक के आदेश से प्रकरण का अग्रिम अनुसंधान थानाधिकारी सदर दौसा को करने के आदेश पर पत्रावली थानाधिकारी सदर दौसा को प्रेषित करने की साक्ष्य देता है।

39. प्रकरण का द्वितीय अनुसंधानकर्ता गवाह पी.डब्ल्यू.27 रवीन्द्र कुमार दिनांक 26–11–2019 में पुलिस थाना सदर में थानाधिकारी के पद पर पदस्थापित रहते हुए उस दिन एसपी साहब के आदेश से मुकदमा नं 153/2019 पुलिस थाना सैंथल की पत्रावली अग्रिम अनुसंधान हेतु उसे प्राप्त होने पर अग्रिम अनुसंधान के सम्बन्ध में फर्दात बनाये जाने के कथन करते हुए समस्त अनुसंधान से मुल्जिमान लेखराज, हेमंत उर्फ ढानू राजेन्द्र, राहूल, विकास, गौतम, महेन्द्र, सुरेन्द्र, देवेन्द्र उर्फ लोढा, रामकिशोर उर्फ आर.के., बनवारी लाल उर्फ गाँधी, मुल्कराज व विधि से संघर्षरत बालक दीपक के विरूद्ध जुर्म अंतर्गत धारा 323, 342, 395, 307, 398,457, 120 बी, 411, 419,420,482 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का प्रमाणित पाए जाने पर चालान हेतु व आरोपी सुरेश कुमार व संतोष मीणा के विरूद्ध धारा 173 (8) सीआरपीसी में अनुसंधान लम्बित रखकर पत्रावली बाद चालानी आदेश थानाधिकारी थाना सैथल दौसा को प्रेषित करने के कथन करता है।

40. गवाह पी.डब्ल्यू.28 राकेश मुकदमा नंबर 153/2019 के मुल्जिमान विकास, हेमंत, रामकिशोर, गौतम, देवेन्द्र कुमार, राजेन्द्र, लेखराज, दीपक, राहुल, सुरेन्द्र, महेन्द्र, मुल्कराज, बनवारी लाल को उसके सामने गिरफतार कर करने की साक्ष्य देते हुए फर्द गिरफ्तारियों पर अपने हस्ताक्षर होना कथन करता है। आगे यह गवाह मुल्जिम विकास के कब्जे से जब्त एक बोलेरो नंबर RJ 29 यूए 0588 की फर्द जब्ती प्रदर्श पी 56, मुल्जिम बनवारी लाल उर्फ गाँधी से घटना में प्रयुक्त जीप आरजे 34 यूए 3577 की फर्द जब्ती प्रदर्श पी 57, मुल्जिम रामकिशन उर्फ आरके उर्फ कालू से घटना में प्रयुक्त एक स्विफट डिजायर नंबर आरजे 05 टीए 1873 की फर्द जब्ती प्रदर्श पी 58, मुल्जिम मुल्कराज से एक देश पिस्टल जरिए फर्द जब्ती प्रदर्श पी 59 तथा मुल्जिम बनवारी लाल से एक देशी पिस्टल जरिए फर्द जप्ती प्रदर्श पी 60 जब्त करने के कथन करता है।

41. गवाह पी.डब्ल्यू.30 बाबूलाल मुलजिम गौतम व विकास को साथ लेकर गंज खेडली उनके बताए हुए स्थान पर पहुंचे, मुलजिमान के बताए अनुसार फर्द निशादेही मौका प्रदर्श पी–03 का औपचारिक साक्षी है।

42. गवाह पी.डब्ल्यू.29 प्रभात कुमार पुलिस अधीक्षक दौसा के पत्र क्रमांक 25 जो दिनांक 03–02–2020 के सम्बन्ध में मोबाइल नंबर 7296922589, 8529498612 की कॉल डिटेल दिनांक 18–11–19 से दिनांक 22–11–19 तक एवं कॉल डिटेल उपलब्ध करवाये जाने और फर्द दस्तावेज प्रदर्श पी–69, प्रदर्श पी–83 पर अपने हस्ताक्षर होने की साक्ष्य देता है।

43. गवाह पी.डब्ल्यू.31 बृजेन्द्र का यह कथन है कि वह दिनांक 17–02–2020 को मोनिटरिंग सेल बजाज नगर जयपुर में जे.टी.आ के पद पर कार्यरत मोबाइल नम्बर 9413781427 आर 9414751311 की कॉल डिटेल दिनांक 18–11–2019 से 22–11–2019 व धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम प्रमाण पत्र व एस.डी. आर. उपलब्ध करवाने के कथन करते हुए अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 84, धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र प्रदश पी 85, प्रदर्श पी 86 व पी 87 एस.डी. आर. एवं प्रदर्श पी 88 लगायत पी 94 सीडीआर के सम्बन्ध में कथन करता है।

44. गवाह पी.डब्ल्यू.32 देशराज पुलिस थाना सैंथल पर कांस्टेबल के पद पर रहते हुए मुकदमा नंबर 153/19 के अनुसंधान अधिकारी रामशरण के साथ जाना व अनुसंधान में सहयोग करने तथा उनके द्वारा बनाई गई फर्दात पर अपने हस्ताक्षरों की पुष्टि करता है।

45. गवाह पी.डब्ल्यू.33 रामराज दिनांक 27.09.2023 को एचएम मालखाना पद पर पुलिस थाना सैंथल पर पदस्थापित होना एवं उस दिन मुकदमा नंबर 153/19 में जप्तशुदा 2000/– रुपये के नोटों को इस न्यायालय के आदेश दिनांक 13.09.2023 की पालना में पुलिस थाना सैंथल के मालखाना में पूर्व से जप्तशुदा 2000/– रुपये के एक पीले रंग का सीलशुदा लिफाफा के फोटोग्राफी कर व खोलकर जिसमें 2000/– रुपये के तीन नोट कुल 6000/– रुपये की रंगीन फोटो नंबर सहित फोटो खिचवाकर उसकी फर्द पंचनामा श्रीमान् सहायक उप निरीक्षक कमल कुमार द्वारा बनाया जाकर 2000/– रुपये के नोटों को जमा राजकोष एसबीआई बैंक शाखा दौसा में जरिये चालान जमान कराये जाने के कथन करते हुए पंचनामा प्रदर्श पी. 109 लगायत प्रदर्श पी. 116 की ताईद करता है।

46. इसी प्रकार गवाह पी.डब्ल्यू.34 कमल का यह कथन है कि वह दिनांक 27.09.2023 को पुलिस थाना सैंथल पर आई सी थानाधिकारी के पद पर पदस्थापित रहते इस न्यायालय के आदेश दिनांक 13.09.2023 की पालना में मुकदमा नंबर 153/2019 धारा 395, 307, 392, 120 (बी) आईपीसी तथा कोर्ट केस नंबर 41/20 सरकार बनाम विकास वगैरह में पूर्व से जब्तशुदा दो–दो हजार रुपये के तीन नोट, कुल रकम 6000/– रुपये ई–चालान द्वारा एसबीआई बैंक लालसोट रोड दौसा में जमा कराने की साक्ष्य देता है और पंचनामा प्रदर्श पी109 की ताईद करता है।

47. तृतीय अनुसंधान अधिकारी गवाह पी.डब्ल्यू.35 सीताराम का यह कथन है कि वह दिनांक 07–10–2020 को पुलिस थाना सैंथल में थानाधिकारी के पद पर पदस्थापित था। पूर्व थानाधिकारी महावीर प्रसाद जी से चार्ज में एफआईआर नम्बर 153/2019 की पत्रावली प्राप्त हुई थी। उक्त प्रकरण में दिनांक 07–10–2020 को उसके द्वारा अभियुक्त सुरेश को तहसील रोड थानागाजी से जरिए फर्द प्रदर्श पी 117 गिरफ्तार किया गया था। आगे इसने अपने अनुसंधान से मुल्जिम सुरेश मीणा के विरूद्ध धारा 379, 411, 419, 420, 482,120 बी का अपराध प्रमाणित मानकर एस.पी. कार्यालय से चार्जशीट आदेश प्राप्त कर उसके द्वारा मुल्जिम सुरेश के विरूद्ध, न्यायालय में चार्जशीट पेश किये जाने के कथन करता है।

48. गवाह पी.डब्ल्यू.36 लक्ष्मीकांत फर्द गिरफ्तारी मुल्जिम सुरेश मीणा प्रदर्श पी 117 का औपचारिक गवाह है।

49. चतुर्थ अनुसंधान अधिकारी गवाह पी.डब्ल्यू.37 महावीर प्रसाद प्रथम सूचना रिपोर्ट जिला गुरुग्राम 511/2019 प्रदर्श पी 122 व रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रदर्श पी 123 न्यायालय पत्रावली में शामिल होना बताते हुए। उपरोक्त प्रकरण में उसके द्वारा मुल्जिमान विकास, गौतम, सुरेन्द्र कुमार, हेमंत उर्फ ढानू, राहुल, महेन्द्र, देवेन्द्र उर्फ लोढा, रामकिशोर उर्फ कालू उर्फ आर.के., राजेन्द्र, लेखराज के विरूद्ध जुर्म धारा 323, 342, 395, 307, 398, 457, 120 बी, 411, 419, 420, 482 आई.पी.सी. व मुल्जिम मुल्कराज, बनवारीलाल उर्फ गाँधी के विरूद्ध जुर्म धारा 323, 342, 395, 307, 398,457, 120 बी, 411, 419, 420, 482 आई.पी.सी. व 3/25 आर्म्स एक्ट में प्रमाणित मानते हुए न्यायालय में चार्जशीट पेश करना तथा बाल अपचारी श्री दीपक के विरूद्ध जुर्म धारा 323,342,395, 307, 398, 457, 120 बी, 411, 419, 420, 482 आईपीसी में किता कर पृथक से बाल न्यायालय में पेश करने के लिये रखी तथा शेष आरोपी सुरेश कुमार व संतोष मीणा के विरूद्ध धारा 173 (8) सीआरपीसी में अनुसंधान लम्बित रखने की साक्ष्य देता है।

50. चिकित्सकीय गवाह पी.डब्ल्यू.17 डॉ. गोपाल लाल सिंघल दिनांक 22.11.2019 को मजरूब नवकिशोर के शरीर पर आई चोटों का मेडिकल मुआयना प्रतिवेदन प्रदर्श पी 07 तैयार करने के कथन करता है, जिसमें उसके चोट नं 01 दायें कंधे पर दर्द की शिकायत एवं चोट नं 02 कमर के पिछले हिस्से में दर्द की शिकायत होना और साधारण प्रकृति होना बताता है। इसी तरह मजरूब कानाराम का मेडिकल मुआयना प्रदर्श पी 19 करने पर चोट नं 01 दाये घुटने में दर्द की शिकायत बताई जाने और यह कुन्द हथियार से कारित साधारण प्रकृति की होने के कथन करता है।

51. *उपरोक्त समग्र विवेचन के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि* प्रकरण का परिवादी–आहत (पी.डब्ल्यू. 2) नवल किशोर पूर्णतया पक्षद्रोही घोषित हुआ, जो तहरीरी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी. 5 में अँकित तथ्यों के विरोधाभासी कथन करता है। प्रकरण का दूसरा आहत (पी.डब्ल्यू. 4) कानाराम भी पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जो अपराध घटना के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं करता है। इसी तरह प्रकरण के

प्रत्यक्षदर्शी बताये गये गवाहान (पी. डब्ल्यू–8) लल्लू, (पी.डब्ल्यू.9) विजय, (पी.डब्ल्यू.10) रामबाबू एवं (पी.डब्ल्यू. 5) माँगीलाल आदि भी पूर्णतया पक्षद्रोही घोषित हुए हैं, जो अभियुक्तगण द्वारा आरोपित अपराध कारित किये जाने के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं करते हैं। इसी प्रकार गवाह (पी.डब्ल्यू. 12) उमर सेन व गवाह (पी.डब्ल्यू. 115) राकेश भी पक्षद्रोही घोषित हुए हैं, जो अभियोजन कहानी व अपराध घटना के बारे में कोई कथन नहीं करते हैं। ऐसे में अनुसंधान अधिकारियों द्वारा केवल तफतीश के दौरान बनाई गई फर्दात के आधार पर अभियुक्तगण को आरोपित अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाना विधि की दृष्टि में उचित प्रतीत नहीं होता है।

52. इस प्रकार संपूर्ण साक्ष्य के मूल्यांकन से यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन कहानी के महत्वपूर्ण अंश, जैसे कि घटना की वास्तविक परिस्थिति, अभियुक्तों की पहचान, एवं जब्तशुदा माल की बरामदगी, संदेह से परे प्रमाणित नहीं हो सके हैं। पुलिस कथानक में जिस प्रकार घटनाक्रम को प्रस्तुत किया गया है, वह आहतगणों के कथन से मेल नहीं खाता है एवं स्वयं आहतगण व चक्षुदर्शी गवाहान प्रथम सूचना रिपोर्ट के विपरीत कथन करते हैं तथा प्रकरण में सुदृढ़, प्रत्यक्ष व विश्वसनीय साक्ष्य का अभाव रहा है, जिससे अभियोजन की विश्वसनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में कोई प्रत्यक्षदर्शी या परिस्थितिजन्य साक्ष्य पेश नहीं आई है। अभियुक्त महेन्द्र की फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी.40 व उसकी फर्द इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम प्रदर्श पी.43 के अतिरिक्त अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं हुई है तथा फर्द इत्तला प्रदर्श पी.43 के आधार पर घटनास्थल की जानकारी देना बताया गया है, लेकिन उक्त घटनास्थल पहले से ही पुलिस व आहतगण की जानकारी में था, जिससे किसी नवीन तथ्य की खोज होना नहीं पाया जाता है। अभियुक्त महेन्द्र से प्रकरण में लूटी हुई कोई वस्तु आदि की भी बरामदगी नहीं हुई है, जिससे उसे आरोपित अपराध से जोड़ा जा सके। अभियोजन साक्ष्यों में गंभीर तात्विक विरोधाभास आए हैं, जिससे अभियोजन कहानी व अपराध घटना की ताईद नहीं होती है। अभियुक्तगण द्वारा दी गयी इत्तला व उनसे की गई बरामदगी का तथ्य भी साबित नहीं होता है, जिससे अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध व कथित घटना की पुष्टि नहीं होती है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित नहीं करते हैं। अतः उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह कहना उचित प्रतीत होता है कि अभियोजन अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध को संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है।

आदेश

53. अतः अभियुक्त **महेन्द्र पुत्र पूरणमल, उम्र 28 साल, निवासी राम्यावाला, पुलिस थाना आँधी, जिला जयपुर ग्रामीण** को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 323, 342, 395, 307, 398, 457, 120 बी. 411, 419, 420, 482 भारतीय दण्ड़ संहिता के अपराधों के आरापों से सन्देह के आधार पर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

54. उक्त अभियुक्त अपीलीय न्यायालय में उपस्थित होने हेतु पचास–पचास हजार रूपए की जमानत व इसी राशि के मुचलके छः माह की अवधि के लिए अन्तर्गत धारा 437 ए दण्ड प्रकिया संहिता प्रस्तुत करें।

55. अभियुक्तगण 1. विकास, 2. हेमन्त उर्फ ढानू, 3. रामकिशोर उर्फ कालू उर्फ आर०के०, 4. गौतम, 5. देवेन्द्र उर्फ लोढा, 6. राजेन्द्र, 7. लेखराज, 8. राहुल, 9. सुरेन्द्र व 10. सुरेश मीना तथा अभियुक्त 11. बनवारी लाल उर्फ गाँधी के प्रकरण का दिनांक 19.12.2025 को फैसला हो चुका है।

56. हस्तगत प्रकरण में **अभियुक्त मुल्कराज दिनांक 10.12.2025 से मफरूर** चल रहा है। अतः पत्रावली पर लाल स्याही से नोट अंकित किया जावे तथा पत्रावली सुरक्षित रखी जावे।

(रविकान्त सोनी आर.जे.एस.)
UID No. RJ00755

57. निर्णय आज दिनांक 26.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रविकान्त सोनी आर.जे.एस.)
UID No. RJ00755